छावनी परिषद, रानीखेत,

अल्पकालीन निविदा,

रानीझील में स्थित मछलियों एवं जलीय जन्तुओं के प्रबन्धन हेतु निविदा सूचना

छावनी परिषद, रानीखेत द्वारा रानीझील में जल भराव क्षमता में वृद्धि एवं जलीय जीवों के संरक्षण हेतु सफाई का कार्य किया जाना है सफाई कार्य के दौरान रानीझील में स्थित मछलियों एवं जलीय जन्तुओं के प्रबन्धन हेतु निविदा दिनांक 09.08.2018 को अपरान्ह 3:00 बजे तक छावनी परिषद कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। निविदा उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष अपरान्ह 04:00 बजे खोली जायेगी, निविदा हेतु अग्रिम धनराशि रू0 5,000/– बैंक ड्राफ्ट जो मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद, रानीखेत के पक्ष में देय अथवा नकद जमा कर रसीद निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से रू0 500/– एवं जी0एस0टी0 अतिरिक्त के नकद भुगतान पर दिनांक 09.08.2018 को प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 1:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है।

नियम एवं शर्तो तथा अन्य जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय के दूरभाष सं0 **05966–220228** पर सम्पर्क किया जा सकता हैं, अथवा कार्यालय के बेवसाईट **www.cbranikhet.org.in** पर लॉगआन किया जा सकता हैं।

पत्रांक– 116/रानीझील/18.
दिनांक– अगस्त, 2018.

(ज्योति कपूर, भा.र.स.से.)
(Jyoti Kapoor, I.D.E.S.)
मुख्य अधिशासी अधिकारी,
Chief Executive Officer,
छावनी परिषद, रानीखेत।
Cantonment Board, Ranikhet.

रानीझील में स्थित मछलियों एवं जलीय जन्तुओं के प्रबन्धन हेतु नियम व शर्ते

1. इच्छुक निविदादाता को निविदा प्रस्तुत करने के लिये एक निर्धारित प्रपत्र (जो इस कार्यालय में रु0 500/- एवं जी0एस0टी0 के नगद भुगतान पर उपलब्ध हैं) में अग्रिम धनराशि रु0 5,000/- बैंक ड्राफ्ट जो मुख्य अधिशासी अधिकारी के पक्ष में देय हो अथवा नकद जमा कर रसीद निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक हैं। केवल वे व्यक्ति ही निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं जिनके द्वारा अग्रिम धनराशि जमा की गयी हो। उक्त निविदा प्रपत्र छावनी परिषद, कार्यालय से नकद भुगतान पर दिनांक 09.08.2018 को प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 1:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं।

2. निविदायें दिनांक 09.08.2018 को अपरान्ह 3:00 बजे तक प्राप्त की जायेगीं एवं उसी दिन अपरान्ह 4:00 बजे खोली जायेगी। सफल निविदादाता के अलावा सभी असफल निविदादाता की अग्रिम धनराशि निविदा प्रक्रिया समाप्त होने पर लौटा दी जायेगी एवं सफल निविदादाता की अग्रिम धनराशि जमानत में समायोजित कर ली जायेगी।

3. सफल निविदादाता को रानीझील में मछलियों एवं जलीय जन्तुओं को रानीझील से निकालने की व्यवस्था अपने स्तर से स्वयं करनी होगी।

4. सफल निविदादाता को जमानत राशि रु0 5,000/- निविदा स्वीकृत होने के 03 दिवस भीतर इस कार्यालय में जमा करनी होगी।

5. एकल एवं पूर्ण निविदा प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर निरस्त/स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद रानीखेत को होगा।

6. निविदा स्वीकार होने की तिथि से 10 दिवस भीतर सफल निविदादाता को झील से मछली/जलीय जंतु निकालने का कार्य पूर्ण करना होगा। यदि किन्ही अपरिहार्य कारणों से 10 दिवस की समयावधि में उक्त कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है, तो ऐसी परिस्थिति में छावनी परिषद द्वारा गठित कमेटी के अनुमोदन पर उक्त कार्य को सम्पन्न करने की अवधि को 5 दिवस के लिए बढ़ाया जा सकता है।

7. सफल निविदादाता उपरोक्त कार्य के दौरान किसी भी प्रकार के जहरीले पदार्थ का प्रयोग नहीं करेगा।

8. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी करों का भुगतान सफल निविदादाता को नियमानुसार करना होगा।

9. यदि सफल निविदादाता के श्रमिकों को रानीझील में मछलियों एवं जलीय जन्तुओं को रानीझील से निकालने के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति की भरपाई का उत्तरदायत्वि पूर्ण रूप से सफल निविदादाता का होगा।

10. उपरोक्त सृजित शर्तो के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में आर्बिट्रेशन/अधिनिर्णायक द्वारा विवाद निस्तारित किया जायेगा, जिस हेतु मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद, रानीखेत एंव सफल निविदादाता द्वारा सहमति प्रदान किये जाने पर अधिनिर्णायक की नियुक्ति की जायेगी उनका फैसला दोनों पक्षों के लिए मान्य व अन्तिम होगा।

11. रानीझील से निकाली गयी मछलियों को अन्यत्र किसी भी स्थान पर ले जाया जाता है,तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सफल निविदादाता का होगा।

क्रमशः पृष्ठ–2

12. रानीझील में मछलियों एवं जलीय जन्तुओं को रानीझील से निकालने का कार्य छावनी परिषद रानीखेत द्वारा नियुक्त की गयी कमेटी के सदस्यों के समक्ष करना होगा।

13. निविदा स्वीकार होने पर सफल निविदादाता रानीझील में स्थित मछलियों एवं जलीय जन्तुओं के प्रबन्धन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करेगा, निविदा के सभी नियम व शर्तो का पूर्ण रूप से पालन करेगा। अगर सफल निविदादाता द्वारा निविदा की किसी भी नियम/शर्त का उल्लघंन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में छावनी परिषद को निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(ज्योति कपूर, भा.र.स.से.)
(Jyoti Kapoor, I.D.E.S.)
मुख्य अधिशासी अधिकारी,
O/C Chief Executive Officer,
छावनी परिषद, रानीखेत।
Cantonment Board, Ranikhet.